न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. कैलाश पुत्री रावता जी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी, हाल निवासी– मोहब्बतनगर, तहसील व जिला– सिरोही
2. पंकू पुत्री रावता जी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी, हाल निवासी– मोहब्बतनगर, तहसील व जिला– सिरोही
3. बाबूलाल पुत्र रावता जी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी, हाल निवासी– मोहब्बतनगर, तहसील व जिला– सिरोही
4. मंजू पुत्री रावता जी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी, हाल निवासी– मोहब्बतनगर, तहसील व जिला– सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 02/2021

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध श्री रावताराम पुत्र कस्तूरजी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी, तहसील व जिला– सिरोही को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 117/2 रकबा 10.00 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 120 रकबा 1.6200 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 हैं) का उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 3 (बाबुलाल) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 3 (बाबुलाल) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि का उक्त श्री रावता पुत्र कस्तूरजी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन गैर खातेदारी तौर किया गया था। खसरा गिरादवरी संवत 2038 से 2041 व 2042 से 2045 के अनुसार आवंटि/अप्रार्थीगण द्वारा कोई काश्त नही की गई है एवं न ही आवंटिती अथवा अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है। खसरा [illegible] संवत 2038 से 2045 तक आवंटित भूमि के मौके पर काश्त नही हुई। प्र[illegible]त [illegible] आवंटन होने के पश्चात् से आज दिन तक आवंटी अथवा अप्रार्थीगण [illegible] वर्तमान में भी

....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है एवं भूमि पडत पडी हुई है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन होने के पश्चात् प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के आधे भाग पर तथा द्वितीय वर्ष में आवंटित की गई पूरी कृषि भूमि पर काश्त की जाना आवश्यक है। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नही किया गया है तथा न ही इनका कब्जा काश्त है, इसलिये उक्त भूमि का किया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी बाबुलाल के अधिवक्ता ने अप्रार्थी बाबुलाल की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम फूंगणी के खसरा संख्या 117/2 रकबा 10.00 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता रावताराम पुत्र कस्तूरजी लखारा को आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से रावताजी ने अपने पुरे जीवनकाल में उक्त आराजी पर काश्त की है तथा उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण बतौर उत्तराधिकारी काबिज है तथा आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि का आवंटन स्वर्गीय श्री रावताराम पुत्र कस्तूरजी लखारा को किया गया था तथा आवंटि रावताराम जी को मौके पर कब्जा होने से राजस्व अधिकारीयों द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया था, जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 15.7.1998 से होती है। तब से रावताजी ने अपने पूरे जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त की है तथा उसके बाद उनके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज नहीं होने के आधार पर यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि रावताजी का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं था या उक्त आराजी पर उन्होने काश्त नहीं की थी। हल्का पटवारी, फुंगणी की गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, सिरोही ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। सवंत 2038 से 2041 व 2042 से 2045 तक की अवधि को गुजरे भी 30 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है तथा इतनी लम्बी अवधि के बाद संवत 2038 से 2041 व 2042 से 2045 तक की अवधि में कब्जा नहीं होने के आधार पर आवंटन निरस्ता करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग है। आवंटन के बाद स्वर्गीय श्री रावताराम पुत्र कस्तुरजी लखारा द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की है, आबंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. तथा न ही ऐसा किया जाना साबित है। श्री रावताराम पुत्र कस्तुरजी लखारा को मौजा फुंगणी के खसरा संख्या 117/2, जिसके नये खसरा संख्या 120 रकबा 10.00 बीघा (1.6200 हैक्टेयर) भूमि का आबंटन संवत 2038 से पूर्व विधि अनुसार किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। स्वर्गीय श्री रावताराम पुत्र कस्तुरजी लखारा ने अपने पूरे जीवन काल में उक्त भूमि काश्त की है एवं उनकी अवधि के बाद अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। भूमि का आवंटन होकर कब्जा सुपुर्द किए हुए 45 वर्ष की समयावधि हो चुकी है एवं आबंटी रावताराम जी का भी देहान्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में, इतनी लम्बी अवधि के बाद कानूनन आबंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटित भूमि में अप्रार्थीगण के हित निहित हो चुके है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जिससे प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि संबंधित नियमों के अनुसार आवंटन के 10 वर्ष तथा संशोधन के बाद 3 तीन वर्ष में आबंटी को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्रदान हो जाते है। खातेदारी के संबंध में नामान्तकरण दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारीयों का दायित्व तथा कर्तव्य है, यदि राजस्व अधिकारीयों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण नामान्तकरण दर्ज नहीं किया है तो उसके लिए आवंटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खसरा गिरदावरी कब्जे का सबूत नही है तथा न ही खसरा गिरदावरी के आधार पर यह साबित होता है कि आबंटी का मौके पर कब्जा नहीं रहा है या काश्त नहीं की है। खसरा गिरदावारी को आधार बताकर यह प्रार्थनापत्र 30 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है, जो

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खारिज किए जाने योग्य है। यह कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार आवंटन के 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् (संशोधन के बाद 3 वर्ष) तहसीलदार को स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे अप्रार्थीगण के पिता रावताजी लखारा एवं उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार कृषक हो चुके है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री रावताराम पुत्र कस्तूर जी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 117/2 रकबा 10.00 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 120 रकबा 1.6200 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 है) का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिस पर उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 15.7.1998 के द्वारा आवंटिती श्री रावताराम पुत्र कस्तूजी, जाति– लखारा, निवासी– फुगणी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। उक्त आवंटित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आवंटिती श्री रावताराम पुत्र कस्तूरजी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणीा के उत्तराधिकारियों (अप्रार्थी संख्या 1 से 4) के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, फुंगणी की मौका फर्द दिनांक 17.11.2020 एवं तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती अथवा उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा काश्त नही रहा है तथा आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त कृषि भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा श्री रावताराम पुत्र कस्तूरजी, जाति– लखारा, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 117/2 रकबा 10.00 बीघा (जिसके नये खसरा संख्या 120 रकबा 1.6200 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 है) भूमि का किया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested